



गोल्फ कोर्स रोड,  
नगरोटा, जम्मू - 181221 (जम्मू व कश्मीर)  
Golf Course Road,  
Nagrota, JAMMU- 181221 ( J&K)  
फैक्स Fax : 0191 -2674884  
दूरभाष Telephone : कार्यालय Office: 2674991/2674867  
ई-मेल e-Mail : jk.gdc.soi@gov.in



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA  
जम्मू व कश्मीर भू-स्थानिक  
आंकड़ा केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र)  
J & K GEO-SPATIAL  
DATA CENTRE (NZ)

सं० No. - 1223 /18-ए-5(Pension Revision)

दिनांक Dated: 09-10-2017

कार्यालय आदेश सं. 126 /18-ए-5(पेंशन रिविजन) दि. 09-10-2017.

भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के पत्र सं.ब-15453 /1117-रूल्स दि. 06-12-2010 एवं ब-456 /1117-रूल्स दि. 09-02-2015 में निहित निर्देशों के अनुपालन में पेंशन-भोगियों (Pensioners) की शिकायतों (Grievances) का निपटान/निस्तारण करने के लिए जम्मू व कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र में निम्नलिखित सदस्यों की एक पेंशन अदालत /समिति का गठन किया जाता है। गठित समिति प्रत्येक वर्ष में दो बार बैठक करेगी। इस बैठक में पेंशन सम्बंधी शिकायतों के निवारण हेतु एक मीटिंग आयोजित करेगी तथा उनका त्वरित गति से निपटान करना सुनिश्चित करेगी। अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों सहित वर्ष 2017-2018 हेतु समिति की द्वितीय मीटिंग दि. 15-11-2017 में गोल्फ कोर्स रोड नगरोटा, जम्मू स्थित कार्यालय में आयोजित करना निश्चित हुआ है :-

- |  |         |
|--|---------|
| 1 वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर                 | (सदस्य) |
| 2 वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून              | (सदस्य) |
| 3 कार्यालय अध्यक्ष, जम्मू व कश्मीर, भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, नगरोटा, जम्मू | (सदस्य) |
| 4 वरिष्ठ सहायक   | (सदस्य) |

*Urdu*

(प्रदीप सिंह)  
निदेशक

(सामयिक आधार)

प्रतिलिपि :

- 1 भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्रों के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
  - 2 अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ।
  - 3 वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर
  - 4 वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून
  - 5 कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय अधीक्षक को अनुपालनार्थ।
  - 6 वेबसाईट एडमिन को ई-मेल द्वारा अपलोड करने हेतु अनुरोध है।
- आपसे अनुरोध है कि उक्त अदालत में शामिल होने की तिथि से अवगत करवाने एवं तथा पेंशन अनुभाग के अधिकारी को नामित करने की भी कृपा करें ताकि तिथि को निश्चित किया जा सके।